

डिक्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

263/2025

1. भंवरलाल पुत्र रामस्वरूप जाति लखारा निवासी झांसल तहसील भादरा हनुमानगढ़
वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीदावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री
शर्मा उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा
की जाती है कि चक चक 3 जेएसएल के खाता संख्या 100/117 के मु0न0 35 के
नं0 15/1 की 0.2400 है0 नहरी, किला नं0 15/2 की 0.0130 है0 गै0मु0 रास्ता, किला
16/1 की 0.2400 है0 नहरी, किला नं0 16/2 की 0.0130 है0 गै0मु0 रास्ता, किला नं0
2/2 की 0.1510 है0 नहरी, किला नं0 24/3 की 0.0130 है0 गै0मु0 रास्ता किला नं0
1 की 0.2270 है0 नहरी, किला नं0 25/2 की 0.0260 है0 गै0मु0 रास्ता कुल किला 8
0.9230 है0 जिसमें 0.8580 है0 नहरी व 0.0650 है0 गै0मु0 रास्ता वादी भंवरसिंह पुत्र
स्वरूप हिस्सा 1/5 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है में भंवरसिंह पुत्र रामस्वरूप की जगह वादी का
नाम भंवरलाल पुत्र रामस्वरूप दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि
किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि भंवरसिंह
रामस्वरूप के नाम से हो तो उसके लिए वादी का भंवरसिंह पुत्र रामस्वरूप ही लागू
गा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
आरी की गई।



(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़
भादरा जिला हनुमानगढ़

